रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02112021-230897
CG-MH-E-02112021-230897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943
No. 536] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 26 अक्तूबर, 2021

फा.सं. टीएएमपी/50/2021-डीपीटी.– महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, दीनदयाल पत्तन न्यास(डीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करते हुए डीपीटी की नमक भूमि की दर संरचना, में संशोधन के लिए भूमि प्रबंधन के लिए नीति दिशानिर्देश, 2015 (पीजीएलएम 2015) के तहत 05 जुलाई 2020 से 04 जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए संलग्न आदेशानुसार, दरमान अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/50/2021-डीपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास --- आवेदक

<u>कोरम</u>

(i). टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमान सिंह, सदस्य(आर्थिक)

<u>आदेश</u>

(अक्तूबर 2021 के 26 वें दिन पारित)

यह मामला, दीनदयाल पत्तन न्यास(डीपीटी) से डीपीटी की नमक भूमि की दर संरचना के 05 जुलाई 2020 से 04 जुलाई 2025 की अवधि के लिए संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. डीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 15 सितंबर 2021 के अंतर्गत, भूमि प्रबंधन के लिए नीति दिशानिर्देश, 2015 (पीजीएलएम 2015) का अनुपालन करते हुए डीपीटी की नमक भूमि की दर संरचना में 05 जुलाई 2020 से 04 जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए संशोधन हेतु अपना प्रस्ताव दायर किया है।

2.2 निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, डीपीटी के दिनांक 15 सितंबर 2021 के प्रस्ताव की एक प्रति संलग्नकों के साथ उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को, उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई थी। उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से प्राप्त प्रत्येक टिप्पणी की एक-एक प्रति, डीपीटी को फीडबैक सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थी। डीपीटी ने अपनी टिप्पणियां भेजी हैं।

2.3. इस मामले में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 अक्टूबर 2021 को एक संयुक्त सुनवाई हुई थी. डीपीटी और संबंधित उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों/पट्टेदारों ने अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया है।

3. इस मामले की प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई जानकारी की समग्रता के संदर्भ में, इस प्राधिकरण ने, डीपीटी की नमक भूमि की दर संरचना के संशोधन के लिए डीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव का निपटान करते हुए भूमि प्रबंधन, के लिए नीतिगत दिशानिर्देश 2015 (पीजीएलएम 2015) का अनुपालन करते हुए 05 जुलाई 2020 से 04 जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए एक स्पष्ट-आदेश(स्पीकिंग आर्डर) पारित किया है।

4.1. परिणामत: और स्पष्ट-आदेश(स्पीकिंग आर्डर) में दिए गए कारणों और सामूहिक सोच के आधार पर, यह प्राधिकरण, अनुलग्न-क के रूप में संलग्न डीपीटी पर नमक भूमि के लिए पट्टा किराए की संशोधित अनुसूची को अधिसूचित करता है।

4.2. डीपीटी की नमक भूमि के लिए पट्टा किराया(लीज रेंट) की संशोधित अनुसूची, डीपीटी द्वारा प्रस्तावित 5 जुलाई 2020 से प्रभावी होगी और पांच साल की अवधि के लिए अर्थात 4 जुलाई 2025 तक वैध रहेगी।

5. इस प्राधिकरण द्वारा पारित स्पष्ट-आदेश(स्पीकिंग आर्डर) को अलग से सूचित किया जाएगा और डीपीटी और संबंधित उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों को स्थति अनुसार समय रहते संप्रेषित किया जाएगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./401/2021-22]

अनुलग्नक

दीनदयाल पत्तन न्यास की नमक भूमि के लिए पट्टा किराया(लीज रेंट)/आरक्षित मूल्य की अनुसूची

विवरण	**05.07.2020 को प्रति एकड़ वार्षिक पट्टा किराया(लीज रेंट) (रूपये में)**
दीनदयाल पत्तन में नमक भूमि	25,415/-

टिप्पणियाँ:

(i). ऊपर निर्धारित वार्षिक पट्टा किराया (लीज रेंट) के अनुसार आरक्षित मूल्य 5 जुलाई 2020 से प्रभावी होगा और 4 जुलाई 2025 तक वैध रहेगा।

(ii). ऊपर निर्धारित वार्षिक पट्टा किराया पर प्रतिवर्ष 2% का वृद्धि कारक वहन होगा। ऊपर निर्धारित पट्टा किराए में पहली वार्षिक वृद्धि 05 जुलाई 2021 को होगी।

(iii). पट्टा किराया(लीज रेंट)/लाइसेंस शुल्क को नियंत्रित करने वाली अन्य शर्तें बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी/जारी किए वाले स्पष्टीकरण/परिपत्रों के साथ पठित भूमि प्रबंधन के लिए नीति दिशानिर्देश, 2015 के अनुसार होंगी।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th October, 2021

F. No. TAMP/50/2021-DPT In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the Scale of Rates disposing of the proposal received from the Deendayal Port Trust (DPT) for revision of rate structure of Salt Land of DPT for the period from 05 July 2020 to 04 July 2025 under Policy Guidelines for Land Management, 2015 (PGLM 2015) as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/50/2021-DPT

Deendayal Port Trust - - - **Applicant**

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 26th day of October 2021)

This case relates to the proposal received from Deendayal Port Trust (DPT) for revision of rate structure of Salt Land of DPT for the period from 05 July 2020 to 04 July 2025.

2.1. The DPT under cover of its letter dated 15 September 2021 has filed its proposal for revision of rate structure of Salt Land of DPT for the period from 05 July 2020 to 04 July 2025 following Policy Guidelines for Land Management, 2015 (PGLM 2015).

2.2 In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the DPT proposal dated 15 September 2021 along with enclosures was circulated to the users/ user organisations seeking their comments. A copy each of the comments received from the users/ user organisations were forwarded to the DPT as feedback information. The DPT has furnished its comments.

2.3. A joint hearing in this case was held on 12 October 2021 through Video Conferencing. The DPT and the concerned users / user organizations / lessees have made their submissions.

3. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, this Authority has passed a Speaking Order disposing of the proposal filed by the DPT for revision of rate structure of Salt Land of DPT for the period from 05 July 2020 to 04 July 2025 following Policy Guidelines for Land Management, 2015 (PGLM 2015).

4.1. In the result and for the reasons given in the Speaking Order and based on collective application of mind, this Authority notifies the revised Schedule of lease rent for Salt land at the DPT attached as **Annex.**

4.2. The revised Schedule of lease rent for Salt land of DPT will be effective from 5 July 2020 as proposed by the DPT and shall remain valid for a period of five years i.e. till 4 July 2025.

5. The Speaking Order passed by this Authority will be intimated separately and communicated to the DPT and the relevant users/ user organisations in due course of time.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./401/2021-22]

Annex

Schedule of Lease rent/ Reserve price for Salt Land of Deendayal Port Trust

Description	**Lease rentals per acre per annum as on 05.07.2020 (In ₹)**
Salt land at Deendayal Port	25,415/-

Notes:

(i). The reserve price in terms of annual lease rent prescribed above will be effective from 5 July 2020 and will remain valid till 4 July 2025.

(ii). The annual lease rent prescribed above will bear an escalation factor of 2% every year. The first annual escalation in lease rent prescribed above shall be on 05 July 2021.

(iii). The other conditions governing the lease rental / license fee shall be as per the Policy Guidelines for Land Management, 2015 read with Clarification/ Circulars issued/ to be issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways from time to time.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.02 16:45:45 +05'30'